संख्या 322 /87-अति०ऊ०स्रो०वि० /2023

संख्या-707/77-6-2023

81.58

प्रेषक,

जय वीर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अनु सचिव,
अतिरिक्त ऊर्जा विभाग,
उ0प्र0 शासन।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 21 फरवरी, 2023

विषय- उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2022 एवं उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022 के कियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1139/87-8(1)अ0ऊ0स्रो0वि0/2022 दिनांक 12.10.2022 एवं संख्या-263/87-2023-755-अ0ऊ0स्रो0वि0/2022 दिनांक 14 फरवरी, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराना है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र में औद्योगिक विकास विभाग से संबंधित कोई बिन्दु उल्लिखित नहीं है। उ०प्र० सौर ऊर्जा नीति-2022 में मैन्यूफैक्चरिंग, पम्प स्टोरेज प्लाण्ट संबंधी परियोजनाओं हेतु उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत अनुमन्य वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। औद्योगिक नीति- 2022 के अधीन पृथक से नियमावली/शासनादेश निर्गत किये जायेंगे। अतएव अतिरिक्त ऊर्जा विभाग द्वारा उ०प्र० सौर ऊर्जा नीति-2022 एवं उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022 के अन्तर्गत आवेदन स्वीकार कर आपके स्तर से अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही किये जाने में कोई बाधा नहीं है।

3- प्रकरण में यह भी अवगत कराना है कि उ०प्र० राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में गठित राज्य स्तरीय समिति में इन्वेस्ट यू०पी० से अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी को पदनाम से सदस्य नामित किया जाता है।

4- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वस्तुस्थिति के अवगत होते हुए प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(जय वीर सिंह)
संयुक्त सचिव।

Scanned with CamScann